8052
10/03/17

संख्या- 1/2017/ 231 /33-3-2017-100(33)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च ~~फरवरी~~, 2017

विषय- डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) हेतु प्राविधानित बजट की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- आर.जी.पी.एस.ए./शा/35/2016-4/512/2016, दिनांक 10.11.2016 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20 अक्टूबर 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत रू. 66165 हजार की बजट व्यवस्था की गयी है। डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत रू. 66165 हजार की बजट व्यवस्था के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि रू. 66165 हजार (रू. छ करोड एकसठ लाख पैंसठ हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20 अक्टूबर 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-18-डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्दीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सी0-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जारी धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

3573

मुख्य वित एवं लेखाधिकारी/
उप निदेशक (प0) लोहिया

(एस० एन० सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायतीराज उ०प्र०।
10/03/17

निदेशक
10/3/17

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रदेश में आदर्श संहिता प्रभावी है अतः वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के पूर्व निदेशक अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगें कि इससे आदर्श आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।